



Notif. No. 1339

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 1976/ज्यैष्ठ 7, 1898

No. 251] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 1976/JYAISTHA 7, 1898

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May 1976

S.O. 372(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Companies (Profits) Surtax Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Profits) Surtax (Amendment) Rules, 1976.

(2) This rule and rule 2 shall come into force at once and rule 3 shall come into force on the 1st day of August, 1976.

2. In rule 3, for item (ix) relating to the modification of section 140, the following item shall be substituted, namely:—

*Modification of section 140.—(ix) For section 140, the following section shall be substituted, namely:—

*140. Return by whom to be signed.—The return under section 5 of the Act shall be signed and verified by the managing director of the company, or where for any unavoidable reason such managing director is not able to sign and verify the return, or where there is no managing director, by any

director thereof, or where in the case of a non-resident company any person has been treated as its agent under section 163 of the Income-tax Act, by such person.”.

3. In the Appendix,—

(a) in Form No. 1,—

(i) before Part I, after the entry, “Name of the Company.....” the following entry shall be inserted, namely:—

“Permanent account number.....”;

(ii) in Part I,—

(A) for item 3, the following item shall be substituted, namely:—

“3. Chargeable amount (i.e. the amount by which the chargeable profits shown against item 1 exceed the statutory deduction shown against item 2) as rounded off to the nearest multiple of ten rupees—applied section 288A.

(a) In figures.....
(b) In words.....”;

(B) item 4 and Note 1 shall be omitted;

(iii) in Part II,—

(A) in item 3—

(a) entry (5) shall be omitted;

(b) entries (6) to (15) shall be re-numbered respectively as entries (5) to (14);

(c) for entry (6) as so re-numbered, the following entry shall be substituted, namely:—

“(6) Amount equal to fifty per cent of the sum with reference to which deduction is allowable under section 80G of the Income-tax Act, 1961.”;

(d) in entry (11) as so re-numbered, the words “and super-tax” shall be omitted;

(e) for entry (12) as so re-numbered, the following entry shall be substituted, namely:—

“(12) Amount of income-tax payable by the company in respect of its total income under the provisions of the Income-tax Act, 1961, as reduced by the aggregate of—

(i) the amount of income-tax, if any, payable in respect of the income referred to in clauses (i), (ii), (iii) and (viii) of rule 1 of the First Schedule to the Companies (Profits) Surtax Act, 1964;

(ii) the amount of income-tax, if any, payable by the company under the provisions of the annual Finance Act with reference to the relevant amount of distributions of dividends by it;

(iii) the amount of income-tax, if any, payable by the company under section 104 of the Income-tax Act, 1961. (Please see Note 4).”;

(f) in entry (14) as so re-numbered, for the brackets, figures and word “(1 to (14)” the brackets, figures and word “(1 to (13)” shall be substituted;

(B) in item 4, for the brackets, words and figures “[Item 1 plus item 2 minus entry (15) of item 3.]”, the brackets, words and figures “[Item 1 plus item 2 minus entry (14) of item 3.]” shall be substituted;

(C) in Note 3, for the brackets, words and figures “[See entry (11) of item 3 of Part III]”, the brackets, words and figures “[See entry (10) of item 3 of Part II]” shall be substituted;

(D) for Note 4, the following Note shall be substituted, namely:—

“Note 4.—[See entry (12) of item 3 of Part II].

The amount of income-tax to be shown against this entry will be the amount calculated after making allowance for any relief, rebate or deduction

in respect of income-tax to which the assessee may be entitled under the provisions of the Income-tax Act, 1961, or the annual Finance Act. The amount of tax so arrived at should be further reduced by the aggregate of the following amounts, namely:—

- (i) the amount of income-tax, if any, payable in respect of (a) say profits of any business of life insurance, (b) any income by way of compensation or other payment referred to in section 28(ii) of the Income-tax Act, 1961, (c) any income chargeable under the head "Capital gains" under the Income-tax Act, 1961, and (d) dividends from an Indian company or a company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India, where any such income, profits and gains are included in the total income;
 - (ii) the amount of income-tax, if any, which is payable by the company under the provisions of the annual Finance Act with reference to the relevant amount of distributions of dividends by it; and
 - (iii) the amount of income-tax, if any, which is payable by the company under section 104 of the Income-tax Act, 1961;
 - (iv) in Part III, for item 5, the following item shall be substituted, namely:—
"5. Amount of debentures (as on the first day of the previous year) issued to the public.";
 - (v) in Part IV, for the words "by the Principal Officer of the Company", the words "by the managing director of the company, or where for any unavoidable reason such managing director is not able to sign and verify the return, or where there is no managing director, by any director thereof," shall be substituted;
- (b) in Form No. 4, in item 7, for the word and figures "section 16", the words, figures and brackets "section 11/section 16/applied section 131(2)." shall be substituted.

[No. 1339/F. No. 143(2)/76-TPL]
O. P. BHARDWAJ, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 1976

का० आ० 372(ख).—कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कम्पनी (लाभ) अतिकर नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (लाभ) अतिकर (संशोधन) नियम, 1976 है।
(2) यह नियम और नियम 2 तुरन्त प्रवृत्त होंगे और नियम 3 1976 के अगस्त के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा।

2. कम्पनी (लाभ) अतिकर नियम, 1964 के नियम 3 में, धारा 140 के उपान्तरण से सम्बन्धित मद (IX) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"धारा 140 का उपान्तरण—(IX) धारा 140 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"140. विवरणी में कौन हस्ताक्षर करेगा—अधिनियम की धारा 5 के अधीन विवरणी में कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक द्वारा, या जहाँ किसी अपरिच्छिन्न

कारण से ऐसा प्रबन्ध निदेशक विवरणों में हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने में समर्थ नहीं है, या जहाँ कोई प्रबन्ध निदेशक नहीं है, वहाँ कम्पनी के कितने निदेशक द्वारा, या जहाँ, अनिवासी कम्पनी की दशा में, किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 163 के अधीन उसका अभिकर्ता माना गया है, वहाँ ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे और विवरणी सत्यापित की जाएगी।"।

3. पारशिष्ट में, —

(क) प्रकृप नं० 1 में, —

(i) भाग 1 के पूर्व, "कम्पनी का नाम—" प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"स्थायी लेखा संख्यांक _____";

(ii) भाग 1 में, —

(क) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"3. इस रूप के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित प्रभार रकम (अर्थात्, मद 1 के सामने दिखाए गए प्रभार लाम को रकम मद 2 के सामने दिखाई गई कानूनी कटौती से जितनी अधिक है वह रकम)—लाम की गई धारा 288 क।

(क) शर्कों में

(ख) शब्दों में

(ख) मद 4 और टिप्पण 1 का लोप किया जाएगा ;

(iii) भाग II में,—

(क) मद 3 में—

(क) प्रविष्टि 5 का लोप किया जाएगा ;

(ख) प्रविष्टि 6 से प्रविष्टि 15 तक को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 14 तक के रूप में पुनर्संज्ञांकित किया जाएगा ;

(ग) इस प्रकार पुनर्संज्ञांकित प्रविष्टि 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) उस रकम के, जिसके प्रति निर्देश से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80ख के अधीन कटौती अनुज्ञात है, 50 प्रतिशत के समतुल्य रकम।";

(घ) इस प्रकार पुनर्संज्ञांकित प्रविष्टि 11 में से "और अधिकर" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ड) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(12) निम्नलिखित रकमों को कम करने के पश्चात्, आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन कम्पनी द्वारा अपनी कुल आय की बाबत देय आय-कर की रकम, अर्थात्:—

(i) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की प्रथक अनुसूची के नियम 1 के खण्ड (i), (ii), (iii) और (viii) में निर्दिष्ट आय की बाबत देय आय-कर की रकम, यदि कोई है;

(ii) कम्पनी द्वारा वार्षिक वित्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय आय-कर की रकम, यदि कोई हो, उसके द्वारा डिविडेंड के विवरण की सुसंगत रकम के प्रति निर्देश से ;

(iii) कम्पनी द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 104 के अधीन देय आय-कर की रकम, यदि कोई है।”

(च) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित प्रविष्टि 14 में, “(1) से (14)” कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर “(1) से (13)” कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद 4 में, “[मद 1 + मद 2—मद 3 की प्रविष्टि (15)]” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर “[मद 1+मद 2—मद 3 की प्रविष्टि (14)]” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ग) टिप्पण 3 में “[भाग 2 की मद 3 की प्रविष्टि (11) देखिए]” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर “[भाग 2 की मद 3 की प्रविष्टि (10) देखिए]” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(घ) टिप्पण 4 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:—
“टिप्पण 4—[भाग 2 की मद 3 की प्रविष्टि (12) देखिए]

इस प्रविष्टि के सामने दिखाई जाने वाली आय-कर की रकम आय-कर अधिनियम, 1961 अथवा वार्षिक वित्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्धारित आय-कर की बाबत जिन सहूलियतों, छूटों या कटौतियों का हकदार हो सकता है उनके लिए मौका देने के पश्चात् संगणित रकम होगी। इस प्रकार गणना की गई रकम में से निम्नलिखित रकमों का योग और कम कर दिया जाएगा, अर्थात्:—

(i) (क) जीवन बीमा के किसी कारोबार के कोई लाभ,

(ख) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 28(ii) में निर्दिष्ट प्रतिकर या अन्य सदाय के रूप में कोई

रकम, (ग) आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन "पूजी-अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत प्रभाव कोई आय, और (घ) किसी भारतीय कम्पनी या ऐसी कम्पनी से, जिसने भारत के भीतर लाभार्थों को घोषणा और संदाय के लिए विहित इन्तजाम किए हैं, लाभार्थ, जहां कोई ऐसी आय, लाभ और अभिलाभ कुल प्राप्ति के अन्तर्गत सम्मिलित हैं; को वावत देय आय-कर की रकम, यदि कोई है ;

(ii) कम्पनी द्वारा, वार्षिक वित्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, अपने डिविडेंडों के विवरण की सुसंगत रकम के प्रति निर्देश से, देय आय-कर की रकम, यदि कोई हो; और

(iii) कम्पनी द्वारा, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 104 के अधीन देय आय-कर की रकम, यदि कोई है।";

(iv) भाग III में, मद 5 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5. लोक को निर्गमित डिविडेंडों की रकम (पूर्व वर्ष के प्रथम दिन के अनुसार)।";

(v) भाग IV में, "कम्पनी के प्रधान अधिकारी द्वारा" शब्दों के स्थान पर "कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अग्रिहार्य कारण से ऐसा प्रबन्ध निदेशक विवरणी पर हस्ताक्षर और उसका सत्यापन करने में समर्थ नहीं है, अथवा जहां कोई प्रबन्ध निदेशक नहीं है, कम्पनी के किसी निदेशक द्वारा," शब्द रखे जाएंगे।

(ख) प्ररूप सं० 4 में, मद 7 में, "धारा 16" शब्द और अंकों के स्थान पर "धारा 11/धारा 16/लागू की गई धारा 131

(2) "शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[सं० 1339/फा० सं० 143(2)/76-टी० पी० एल०]

सी० पी० भारद्वाज सचिव।